

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 113/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

रजाक अंसारी ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

सलीम अंसारी वगै० ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

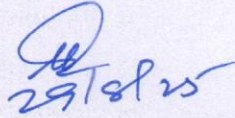
29/8/25

उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए राजस्व संबंधी साक्ष्यों का अवलोकन करने, उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है एवं उभय पक्ष एक ही वंश के वंशज हैं। प्रस्तुत मामला बंटवारा से संबंधित है।

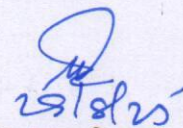
चूँकि मामला बंटवारा (Partition) से संबंधित है तथा बंटवारा से संबंधित मामलों का विचारण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः किसी भी पक्ष के हित में या विरुद्ध कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष मामले का स्थायी निपटारा करने हेतु सक्षम न्यायालय में युक्तियुक्त (appropriate) वाद दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


29/8/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया


29/8/25
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया